



जेल मुख्यालय

भोपाल (म.प्र.)

विषय :- सहायक जेल अधीक्षक एवं जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2026 द्वारा सहायक जेल अधीक्षक एवं प्रहरी पद हेतु लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किए गए अभ्यर्थियों के शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक प्रवीणता परीक्षण तथा दस्तावेज सत्यापन हेतु आवश्यक निर्देश।

विषयांकित तारतम्य में आपको अवगत कराया जाता है कि जेल विभाग में सहायक जेल अधीक्षक एवं प्रहरी पदों की भर्ती परीक्षा-2026 में मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा आपको लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, शूटिंग अकादमी के सामने नाथू बरखेडा रोड, नीलबड, भोपाल पर शारीरिक नापजोख एवं शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु आवश्यक निर्देश निम्नानुसार है:-

प्रहरी पद हेतु

श्रेणी	दौड़	गोला फेंक
पुरुष के लिए	800 मीटर दौड़ 2 मिनट 50 सेकेण्ड	7.260 किलोग्राम का गोला 20 फीट
भूतपूर्व सैनिक एवं होमगार्ड सैनिक	800 मीटर दौड़ 3 मिनट 15 सेकेण्ड	7.260 किलोग्राम का गोला 15 फीट
महिला के लिए	800 मीटर दौड़ 4 मिनट 00 सेकेण्ड	04 किलोग्राम का गोला 16 फीट

1. शारीरिक नापजोख में पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 165 से.मी. एवं महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 158 से.मी. होनी चाहिए।
2. पुरुष अभ्यर्थियों का सीना 83 से.मी. बिना फुलाए होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
3. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है तो उसे गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
5. गोलाफेंक क्वालीफाई करने के लिये अभ्यर्थी को अधिकतम 3 अवसर दिये जाएंगे।
6. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाईंग स्वरूप की होगी। इसमें कोई पूर्णांक, प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
7. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार शारीरिक प्रवीणता परीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
8. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड के द्वारा कराया जाएगा।
9. दस्तावेजों का सत्यापन न होने अथवा बायोमेट्रिक मिलान (सत्यापन) न होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा।
10. शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट में सम्मिलित होने के लिये प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अभ्यर्थी प्रपत्र पर अपना फोटो चस्पा कर उक्त फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित करेंगे। रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम व पता स्वयं अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति की जाकर प्रपत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ मूल शैक्षणिक/जाति आदि प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से लाएं।
11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के समक्ष ऊंचाई व सीने का माप पुनः देना होगा।
12. शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
13. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा प्रतिपूर्ति का भुगतान ई-भुगतान पद्धति से सीधे उसके बैंक खाते में किया जाएगा। अतः संलग्न प्रारूप में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएं।
14. समस्त अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे हाथ पर किसी भी प्रकार का टेटू/मेहंदी या अन्य पदार्थ लगाकर न आएं।

(2)

सहायक जेल अधीक्षक पद हेतु

श्रेणी	दौड़	लंबी कूद	गोला फेंक
पुरुष के लिए	800 मीटर दौड़ 2 मिनट 40 सेकेण्ड	13 फीट लंबी कूद हेतु	7.260 किलोग्राम का गोला 19 फीट
भूतपूर्व सैनिक के लिए	800 मीटर दौड़ 3 मिनट 15 सेकेण्ड	10 फीट लंबी कूद हेतु	7.260 किलोग्राम का गोला 15 फीट
महिला के लिए	800 मीटर दौड़ 3 मिनट 40 सेकेण्ड	10 फीट लंबी कूद हेतु	04 किलोग्राम का गोला 15 फीट

1. शारीरिक नापजोख में पुरुष उम्मीदवारों की ऊंचाई 168 से.मी. एवं महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई 155 से.मी. होनी चाहिए।
2. पुरुष अभ्यर्थियों का सीना 84 से.मी. बिना फुलाए एवं फुलाने पर 89 से.मी. होना आवश्यक है। महिला अभ्यर्थियों के लिए सीने का माप अपेक्षित नहीं है।
3. अभ्यर्थी की दोनों आंखों की दृष्टि सामान्य होनी चाहिए और उसे जेल की सेवाओं के लिए शारीरिक दृष्टि से उपयुक्त होना चाहिए।
4. यदि अभ्यर्थी दौड़ में क्वालीफाई नहीं करता है तो उसे लंबी कूद एवं गोला फेंक में भाग लेने नहीं दिया जाएगा।
5. लंबी कूद एवं गोलाफेंक क्वालीफाई करने के लिये अभ्यर्थी को अधिकतम 3 अवसर दिये जाएंगे।
6. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा केवल क्वालीफाईंग स्वरूप की होगी। इसमें कोई पूर्णांक, प्राप्तांक नहीं होंगे। परीक्षा परिणाम से उम्मीदवार को तुरंत मौके पर ही अवगत करा दिया जाएगा।
7. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा का वीडियो रिकार्ड किया जाएगा। अपने मूल्यांकन से असंतुष्ट रहने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष तत्काल अपील की जाएगी, जो उसका वीडियो कवरेज देखकर निराकरण करेगी। किसी भी स्थिति में उम्मीदवार को दूसरी बार शारीरिक प्रवीणता परीक्षण का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।
8. शारीरिक प्रवीणता परीक्षा उत्तीर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थियों के दस्तावेज का सत्यापन कराया जाएगा। दस्तावेजों के सत्यापन में पात्र अभ्यर्थियों का बायोमेट्रिक सत्यापन आधार कार्ड के द्वारा कराया जाएगा।
9. दस्तावेजों का सत्यापन न होने अथवा बायोमेट्रिक मिलान (सत्यापन) न होने पर अभ्यर्थी को अपात्र माना जाएगा।
10. शारीरिक नापजोख व प्रवीणता टेस्ट में सम्मिलित होने के लिये प्रपत्र संलग्न किया जा रहा है। अभ्यर्थी प्रपत्र पर अपना फोटो चस्पा कर उक्त फोटो पर स्वयं हस्ताक्षर कर अभिप्रमाणित करेंगे। रोल नम्बर, नाम, पिता का नाम व पता स्वयं अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति की जाकर प्रपत्र को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। अभ्यर्थी अपने साथ मूल शैक्षणिक/जाति आदि प्रमाण पत्रों एवं उनकी अभिप्रमाणित छाया प्रति आवश्यक रूप से लाएं।
11. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय नियुक्तकर्ता प्राधिकारी के समक्ष ऊंचाई व सीने का माप पुनः देना होगा।
12. शारीरिक प्रवीणता टेस्ट हेतु उम्मीदवार को स्वास्थ्य अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा से छूट नहीं दी जा सकेगी एवं न ही उक्त के लिए किसी प्रकार का चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा।
13. आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को यात्रा प्रतिपूर्ति का भुगतान ई-भुगतान पद्धति से सीधे उसके बैंक खाते में किया जाएगा। अतः संलग्न प्रारूप में अपना बैंक खाता विवरण आवश्यक रूप से साथ लेकर आएँ।
14. समस्त अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि वे हाथ पर किसी भी प्रकार का टेटू/मेहंदी या अन्य पदार्थ लगाकर न आएँ।

(महानिदेशक, जेल एवं सुधारालय सेवाएं द्वारा अनुमोदित)

(संजय पाण्डेय)

अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक

मध्यप्रदेश, भोपाल